363 Jute Mill Cos. (Reg. & CHAITRA 2, 1901 (SAKA) Const. (Amdent.) Bill 364
Trans.) Amdt. Bill

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI K LAKKAPPA: I introduc'e the Bill.

15 31 hrs.

MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES (AMENDMENT) BILL\*

Amendment of Sections 21, 22 etc.

SHRI SOUGATA ROY (Barrackpore): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969

MR DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969."

The motion was adopted.

SHRI SOUGATA ROY: I introduce the Bill.

15.32 hrs.

JUTE MILL COMPANIES (ACQUI-SITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL\*

SHRI SOUGATA ROY (Barrackpore): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the acquisition and transfer of undertakings of the Jute mill companies. MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the acquisition and transfer of undertakings of the jute mill companies."

The motion was adopted.

SHRI SAUGATA ROY: I introduce† the Bill.

15.33 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL—contd.

(Omission of article 310. etc.) by Shri Bhagat Ram

MR DEPUTY-SPEAKER. We continue with the further consideration of the Constitution (Amendment) Bill moved by Shri Bhagat Ram He was on his legs.

श्री भगत राम (फिल्लीर) मिस्टर हिंग्टी म्पीकर मर, पिछले 9 मार्च को मैने बोलने हुए कहा था कि हमारे कान्टीट्युशन की जो धाराए 310 और 311 हैं, उनके द्वारों हमारे सेन्टर के 30 लाख और स्टेटस के 40 लाख एम्प्लाईज के डेमोत्रेटिक राइटस को छीना गया है। यही नही, बल्कि मैं तो यह भी कहंगा कि ये जो हमारे कास्टीट्युशन की घाराए है, ये बिल्कुल एन्टी डेमोन्नेटिक है प्रौर ये प्राकृतिक न्याय की भी विरोधी है। डिप्टी स्पीकर माहब, भ्रापको मालूम ही है कि चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे स्मगलर हो, चाहे कोई कातिल हो, सब को प्रपने डिफेंस का राइट है। परन्तु इन धाराओं के द्वारा, जिन एम्प्लाईज पर ये धाराएँ लागू की जाती हैं, उनकी प्राकृतिक न्याय भी नहीं मिलना है जब कि कोई चौरी करे, डाका डाले, स्मर्गीलग करे, करल करे, उसकी प्राकृतिक न्याय मिलता है । उनको प्रपना पक्ष पेश करने का हक है। लेकिन जिन लोगों पर ये धाराएं लागू होती हैं, उनको अपना डिफेंस करने का कोई हक लायू नहीं होता है। ये घाराएं जहां बेहूबा है, एस्टी बेमोकटिक हैं वहां ये घाराएं प्राकृतिक न्याय की भी विरोधी हैं। इन घाराओं को हमारे संविधान से सारिज करने के लिए केन्द्रीय भीर प्रान्तीय सरकारों में जी एम्प्लाईज की यूनियनें हैं, फेडरेशंस हैं, वे दिसयों सालों से संघर्ष करती चली था रही है और यह मांग करती चली था रही हैं कि इनको हमारे संविधान से खत्म किया जाए।

<sup>\*</sup>Published in Gazette of India Extraordinary Part II, Section 2, dated 23-3-1979.